कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लोहरदगा
(मनरेगा कोषांग)

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अन्तर्गत लेखा सहायक की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु

विज्ञापन

आयुक्त के सचिव, दक्षिणी छोटानापुर प्रमण्डल, राँची के पत्रांक 1812/स्था0 दिनांक 15.10.2012 से प्राप्त निर्देश के आलोक में मनरेगा के अन्तर्गत संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति हेतु ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प ज्ञापांक 4729 दिनांक 4.06.2007 एवं संकल्प ज्ञापांक 6440 दिनांक 17.07.2012 के आलोक में जिला स्तर पर नियुक्ति हेतु निम्न रूप से रिक्त पदों के विरूद्ध योग्य उम्मीदवारों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

इस पद पर नियुक्ति पूर्णता संविदा के आधार पर होगी तथा अस्थायी होगी। नियुक्ति हेतु शर्त्तें निम्नवत् है :–

1. आवेदन पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, लोहरदगा के पदनाम से देय होगा।
2. पदों की संख्या :–

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या			
		सामान्य	अ0ज0जा0	अ0जा0	कुल
1	2	3	4	5	6
1	लेखा सहायक	0	1	0	1

3. परिलब्धि – लेखा सहायक के लिए 10,000/– रू0 प्रतिमाह मानदेय।
4. शैक्षणिक योग्यता :– लेखा सहायक पद के लिए :–
   (I) अनिवार्य योग्यता :–
   (क)सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी0कॉम ऑनर्स या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55% अंक प्राप्त नही हुआ हो, परन्तु जिन्होने पश्चात् एम0कॉम किया हो, तो वे आवेदन दे सकेंगे, परन्तु बी0कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी0कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।
   (II)अतिरिक्त योग्यता :–
   (क)सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से एम0कॉम, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।
   (ख)एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यता समझा जायेगा तथा तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटी में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।
5. आयु सीमा :– दिनांक 01.01.2017 तक न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम : (क) अनारक्षित – 35 वर्ष (ख) पिछड़ा/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग : 37 वर्ष (ग) महिला – (अनारक्षित पिछड़ा एवम् अत्यन्त पिछड़ा) – 38 वर्ष (घ) अनुसूचित जाति/ जनजाति (पुरूष एवम् महिला) – 40 वर्ष
6. राष्ट्रीयता :– आवेदक भारत का नागरिक हो।
7. आरक्षण :– अनुसूचित जाति/ जनजाति एवम् पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर लोहरदगा जिला के तत्समय निर्गत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। साथ ही विकलांगों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान क्षैतिज रूप से किया गया है।
8. नियुक्ति का प्रकार पदस्थापना स्थल एवम् नियुक्ति की अवधि/ नियुक्ति का नवीकरण कार्य
   (क) नियमावली के परिशिष्ट I एवं II में उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख)प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व विशेष पद नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम– 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(घ) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मीकी सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त कर दी जायेगी।

9. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन लोहरदगा जिला के किसी भी प्रखंड में उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जायेगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी होगा।
10. अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा। अलग–अलग पद के लिए अलग–अलग आवेदन मंजूर किया जायेगा। उसे आवेदन के साथ यह शपथ–पत्र देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका या शपथ–पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
11. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या 14/स्थानीयता नीति –14–01/2015/5938 दिनांक 14.07.2016 के आलोक में जिला स्तर पर वर्ग 3 एवं 4 के पदो पर नियुक्ति हेतु केवल लोहरदगा जिला के स्थानीय निवासी ही योग्य होंगे।
12. प्रशिक्षण :– प्रशिक्षण अवधि एवं स्थल का निर्धारित नियुक्त पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता, स्थानीयता तथा जाति प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, लोहरदगा को निबंधित डाक / स्पीड – पोस्ट से दिनांक 25.01.2017 को अपराह्न 5.00 बजे तक भेजा जा सकता है विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5/1/17

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यकम समन्वयक,
मनरेगा, लोहरदगा।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

आवेदित पद का नाम ....

1. अभ्यर्थी का नाम :–
2. पिता / पति का नाम :–
3. स्थायी पता :– ग्राम :– पंचायत :–
   प्रखण्ड :– जिला :–
4. वर्तमान पता :– ग्राम :– पंचायत :–
   प्रखण्ड :– जिला :–
5. जन्म तिथि :–
6. 01.01.2017 तक उम्र :– दिन :– माह :– वर्ष :–
7. लिंग पुरूष/महिला :–
8. कोटि :– SC/ST/BC (Annexure-2) OBC (Annexure-1)/General
9. विकलांगता हाँ/नहीं :–
10. विकलांगता का प्रतिशत :–
11. मोबाईल नम्बर :–
12. आधार संख्या :–

शैक्षणिक योग्यता :– लेखा सहायक पद के लिए

क0	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	बी0कॉम0				

अतिरिक्त योग्यता :–

क0	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	एम0कॉम0				
2	बी0सी0ए0				
3	एम0सी0ए0				
4	पी0जी0डी0सी0ए0				
5	एम0एस0ए0				

आवेदक का हस्ताक्षर